प्रेस विज्ञप्ति
9/6/2026

<u>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रसेवा के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'माइगव अभियान' का सफलतापूर्वक आयोजन एवं संपन्न किया</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने "वित्तीय अपराधों से संघर्ष, राष्ट्रसेवा के 70 वर्ष" विषयक समारोह के अंतर्गत माइगव (MyGov) मंच पर आयोजित अपने राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता एवं जन-सहभागिता अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभियान भारत की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा तथा आर्थिक अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निदेशालय द्वारा प्रदान की गई सात दशकों की समर्पित सेवा के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था।

इस पहल का उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय के इतिहास, अधिदेश (Mandate) तथा कार्यप्रणाली के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाना तथा वित्तीय सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने एवं वित्तीय अपराधों की रोकथाम में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

अभियान के अंतर्गत विभिन्न संवादात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें ईडी के इतिहास एवं कार्यों से संबंधित शैक्षिक सामग्री का प्रकाशन, "अपने समन का सत्यापन करें" सुविधा के संबंध में जानकारी एवं जागरूकता का प्रसार, ईडी की कार्यप्रणाली पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन, "वित्तीय सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" का शुभारंभ, निदेशालय की प्रमुख उपलब्धियों का प्रसार तथा संगठन के कार्यों में सुधार हेतु नागरिकों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) आमंत्रित करना शामिल था।

दिनांक 28 अप्रैल 2026 से 28 मई 2026 तक आयोजित "ईडी दिवस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" को देशभर के नागरिकों से अत्यंत उत्साहजनक फीडबैक प्राप्त हुई। इस प्रश्नोत्तरी को कुल 89,299 बार देखा गया तथा इसमें 13,393 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने सर्वाधिक सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। ईडी द्वारा प्रश्नोत्तरी के शीर्ष 10 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

"वित्तीय सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" पहल में भी व्यापक जन-सहभागिता देखने को मिली। विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों ने इस प्रतिज्ञा में सहभागिता की, जिनमें 20 से 45 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों की भागीदारी सर्वाधिक रही। यह वर्ग कुल प्रतिभागियों का लगभग 43 प्रतिशत रहा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक आयोजित "प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव आमंत्रण" गतिविधि के माध्यम से नागरिकों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। इस पहल को 2,340 बार देखा गया तथा नागरिकों से कुल 876 सुझाव/प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।

अभियान की उल्लेखनीय सफलता जनसहभागिता, जागरूकता संवर्धन तथा वित्तीय सत्यनिष्ठा के प्रति नागरिकों की बढ़ती प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह पहल वित्तीय अपराधों के विरुद्ध जागरूक एवं उत्तरदायी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई है।

सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान नागरिकों से अनेक रचनात्मक एवं उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए। प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:

• धन शोधन तथा वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का शीघ्र पता लगाने एवं विश्लेषण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा बिग डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग।

• अधिक पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रकरण एवं शिकायत की स्थिति का पता लगाने (अनुवीक्षण) हेतु पोर्टल का विकास।

• बैंकों, वित्तीय आसूचना इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक, वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकरणों तथा पुलिस एजेंसियों के मध्य आंकड़ा साझाकरण एवं अंतर-एजेंसी समन्वय को और सुदृढ़ बनाना।

• जांच प्रक्रियाओं के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना तथा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करना।

• धन शोधन निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य प्रमुख आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु त्वरित न्यायालयों की स्थापना।

• चार्टर्ड अकाउंटेंट, फोरेंसिक लेखा परीक्षक, डेटा वैज्ञानिक तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों सहित विशिष्ट विशेषज्ञता वाले पेशेवरों की भर्ती।

• प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों हेतु नियमित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों का आयोजन।

• प्रभावी सुरक्षा उपायों के साथ सुरक्षित मुखबिर संरक्षण एवं गुमनाम सूचना/शिकायत रिपोर्टिंग तंत्र की स्थापना।

• वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर अपराध तथा धन शोधन के संबंध में क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक जन-जागरूकता अभियानों का संचालन।

• जनविश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा, निरीक्षण तंत्र तथा जवाबदेही संबंधी व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना।

उल्लेखनीय है कि प्राप्त अधिकांश सुझाव तथा नागरिकों द्वारा व्यक्त अपेक्षाएँ विभिन्न चरणों में पहले से ही कार्यान्वयनाधीन हैं। इन पहलों को भविष्य में और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कदम निरंतर उठाए जाते रहेंगे।

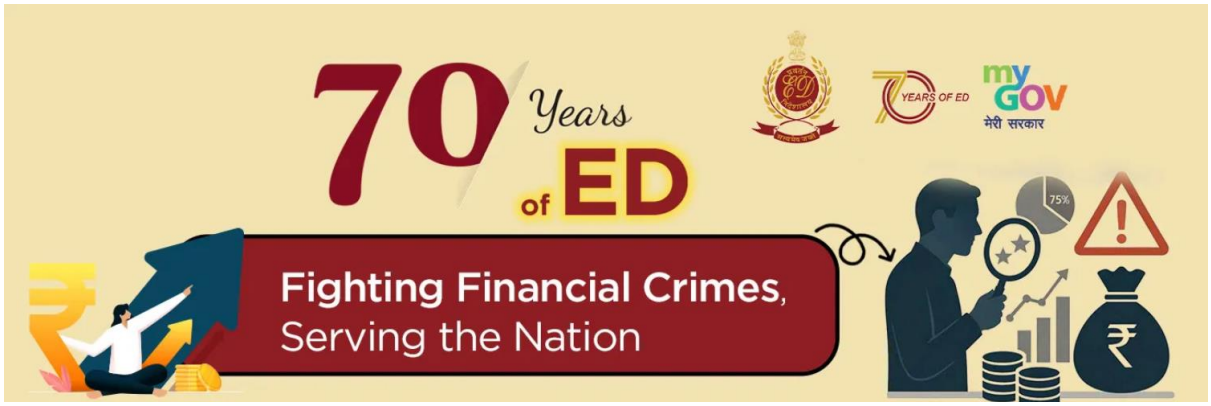

प्रवर्तन निदेशालय उन सभी नागरिकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने इस अभियान में सक्रिय सहभागिता करते हुए वित्तीय अपराधों के विरुद्ध राष्ट्र के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने हेतु अपना समय, विचार एवं बहुमूल्य सुझाव प्रदान किए।

माइगव मंच के माध्यम से प्राप्त उत्साहजनक जनप्रतिक्रिया वित्तीय सत्यनिष्ठा के महत्व तथा भारत के आर्थिक हितों की सुरक्षा के प्रति नागरिकों में बढ़ती जागरूकता एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रतिबिंबित करती है।

निदेशालय आर्थिक कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन तथा भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के अपने अधिदेश के निर्वहन हेतु प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, जनसहभागिता को प्रोत्साहन तथा अपनी संस्थागत क्षमताओं के सतत सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है।